प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 19.12.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच'' के दृष्टिगत ब्लॉक संसाधन केन्द्र बेलसर में शिक्षकों को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

आज दिनांक 19.12.2024 को क्षेत्राधिकारी श्री आनन्द कुमार राय द्वारा ब्लॉक संधासन केन्द्र बेलसर में शिक्षकगण के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम शिक्षकगण द्वारा सीओ सर का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात सीओ सर व जनपदीय साइबर सेल की टीम द्वारा शिक्षकगण को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा शिक्षकगण को NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।

09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.12.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 मोटरसाईकिल चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–933/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 मोटरसाईकिल चोरों–01. राजा बाबू पुत्र ऐनुस नि0 मौरहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 02. विक्रम कोरी पुत्र सज्जन कोरी नि0 मौरहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को रानीजोत मोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.12.2024 को वादी अनुपम अग्रवाल पुत्र महेश कुमार अग्रवाल नि0 रानी बाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.12.2024 को स्टेट बैंक की शाखा रानीबाजार में पैसे निकालने गया था, वही से अज्ञात चोरों द्वारा मेरी अपाचे मोटरसाईकिल चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 19.09.2024 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोरों–01. राजा बाबू पुत्र ऐनुस, 02. विक्रम कोरी पुत्र सज्जन कोरी को रानीजोत मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजा बाबू पुत्र ऐनुस नि0 मौरहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. विक्रम कोरी पुत्र सज्जन कोरी नि0 मौरहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–933/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल नम्बर–यू0पी043ए0जी03445
02. 01 अदद सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल नम्बर– यू0पी0 47 के0 9330

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
03. का0 प्रभाकर यादव।
04. का0 अमित यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.12.2024

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्त को हुई 20 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 16,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.07.2016 को वादिनी बिट्टन तिवारी पत्नी शिवदत्त तिवारी की तहरीर पर थाना को0 करनैलगंज में दहेज हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–275/2016 धारा 498ए,304बी,302 भादवि 3/4डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों–01. राजकुमार पुत्र तीरथराम तिवारी, 02. महेश कुमार पुत्र तीरथराम तिवारी, 03. श्रीमती पुष्पा पत्नी महेश कुमार के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 12.08.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को थाना को0 करनैलगंज में पंजीकृत महिला सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री चन्द्रशेखर कुमार सिंह, थाना को0 करनैलगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र तीरथराम तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 16,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. राजकुमार पुत्र तीरथराम तिवारी नि0 विशुनपुरवा मौजा सोनहरा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–275/2016 धारा 498ए,304बी,302 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.12.2024

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से 02 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व रूपये 20,000–20,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 04.05.2022 को वादी अभय कुमार सिंह पुत्र जगदम्बिका सिंह नि0 ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह थाना को0 करनैलगंज की तहरीर पर थाना को0 करनैलगंज में मु0अ0सं0–139/2022 धारा 302,341 भादवि बनाम 02 नामजद अभियुक्तों–01. अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अयोध्या सिंह, 02. सुरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ छोटू के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक नि0 सुधीर कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 20.01.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को थाना को0 करनैलगंज में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, थाना को0 करनैलगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन महोदया पूजा सिंह द्वारा 02 अभियुक्तों–01. अरविन्द कुमार सिंह, 02. सुरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ छोटू को दोषसिद्ध करते हुए को अजीवन कारावास व रू0 20,000–20,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता–
01. सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र अयोध्या सिंह नि0 ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अयोध्या सिंह नि0 ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–139/2022 धारा 302,341 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।